RCM3 2012/0071

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 356 / 2012 (अपील)

उनवान

1. मनफूल बाई बेवा स्व0 मोहनलाल
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 मोहनलाल
3. इन्द्रकुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल
4. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल
5. सुरेन्द्र कुमार स्व0 मोहनलाल
6. राकेश स्व0 मोहनलाल जाति जैन निवासीगण मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अपीलाण्टस)

बनाम

1. छीतर लाल पुत्र मंगला जाति भील
2. चन्द्रकला पुत्री मंगला जाति भील
3. दाखांबाई बेवा मंगला जाति भील निवासीगण मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार, जर्ये तहसीलदार लाडपुरा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– श्री शम्भूदयाल विजय (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 29.01.2008
न्यायालय प्रभारी अधिकारी जल चैतना राजस्व अभियान (तहसीलदार लाडपुरा)
जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 17.10.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 29.01.2008 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।
2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।
3. रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई।
4. विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि आदेश इन्तकाल जैर अपील योग्य अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान 2008 मे इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नही दिया कि कोई भी नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व धारा 133 ले0 रे0 एक्ट के तहत प्रोपर इन्क्वायरी किया जाना जरूरी है और यदि धारा 133 की पालना मे वास्तविक

जांच की गई होती तो कब्जा अपीलांटान का 12.05.69 से आज तक निरन्तर चला आ रहा है, यह बात सामने आ जाती, किन्तु ऐसा नही करके आनन फानन मे नामान्तकरण 325 रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 के पक्ष मे खोलने मे कानूनी त्रुटि की है । आराजी ख0 नं0 294 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा को छीतरलाल, चन्द्रकला व दांखा बाई के पति व पिता मंगला ने स्वंय घरेलू आवश्यकता के कारण 12.05.69 का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्टान के पति व पिता श्री मोहनलाल को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, तब से जब तक वे जीवित रहे, उनका कब्जा रहा और उनकी मृत्यु के बाद अपीलांटान बहेसियत मालिक खरीदार उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है और मोहनलाल के जायज वारिसान व उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाने के अधिकारी थे । किन्तु रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 ने गुपचुप तरीके से राजस्व अभियान मे वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए आनन फानन मे नामा0 तस्दीक करवा लिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है तथा उक्त आराजी का नामान्तकरण अपीलांटान के पक्ष में तस्दीक किये जाने योग्य है । रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 का आराजी गत खसरा नं0 294 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 सेटलमेन्ट बाद 450 रकबा 0.35 है0 डाले गये है, से किसी प्रकार का कोई संबंध 12.05.69 के बाद नही रहा है, क्योकि उनके पिता द्वारा उक्त तिथि को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर कब्जा खरीदारान को संभला दिया गया था और इस कारण भूमि जब मंगला के स्वत्व की रही ही नही, तो उनके वारिसान के नाम नामा0 तस्दीक करवाने का न तो रेस्पो0 1 लगायत 3 को कोई अधिकार था और न नही रेस्पो0 नं0 4 को बिना वास्तविक जांच किये हुए उक्त नामा0 तस्दीक करने का अधिकार था । इसलिये उक्त नामा0 जैर अपील प्रथम दृष्टया ही कानून के प्रावधानों के विपरीत खोला गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिज निरस्तनीय है । उक्त नामा0 की जानकारी रेस्पो0 1 लगायत 3 द्वारा गलत तरीके से अपने पक्ष मे नामा0 खुलवा कर विक्रय करने का प्रयास करने एवं दिनांक 14.07.08 को अपीलांटान को उक्त भूमि को विक्रय करने की धमकी देने पर हुई, जिस जानकारी करके 17.07.2008 को नामा0 की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और 24.7.08 को नकल प्राप्त हो गई और रूपयों को इंतजाम करके अपील प्रस्तुत की है ।विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट प्रस्तुत कर विलम्ब का समय कन्डोन करने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को आदेश नामा0 निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी का नामा0 अपीलान्ट के हक मे तस्दीक करने का निवेदन किया गया । बहस हेतु रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त प्रथमतः यह पाते है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 12.05.69 को मंगला द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने हेतु अपील की है । खातेदार मंगला के फोत होने पर प्रश्नगत नामा0 राजस्व अभियान 2008 मे उसके वारिसान के हक मे बिना अपीलांट की सुनवाई कर खोला गया । परन्तु क्रेता अपीलांट द्वारा भूमि नामा0 खोलने के करीब 40 वर्ष पूर्व क्रय की है तथा उसके द्वारा अपील इतने वर्ष पश्चात पेश करने के संबंध मे कोई ठोस कारण नही बताए है । 40 वर्ष पूर्व क्रय भूमि के संबंध मे खातेदारी नियमित वाद मे बाद साक्ष्य ही प्रदान की जा सकती है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा